न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्रीकुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 96/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. नेमाराम पुत्र स्व. शिवराम उर्फ शिविया 2. देवाराम पुत्र स्व. शिवराम उर्फ शिविया जाति प्रजापत निवासी सरदारसमंद तह0 सोजत जिला–पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री पी.आर. प्रजापत, श्री कैलाश दवे अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।

2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– **दिनांक :–** 04/03/24

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं उनके प्रेडिसिसर इन टाईटल की पट्टा सुदा, नियमितीकरणसुदा, पुश्तैनी खातेदारी एवं काश्तकारी आवंटन सुदा कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम सरदारसमंद, पटवारी हल्का सरदारसमंद, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत के पुराने खेत खसरा नंबर 220/4 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल की स्थित है, जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादस्थ भूमि के उत्तर में हजारीसिंह की कृषि भूमि/फसाराम पुत्र शंकरजी का खेत, दक्षिण में नेमाराम, देवाराम वगैरा की कृषि भूमि, भंवरा पुत्र खेता की भूमि, पूर्व में नरेन्द्रसिंह एवं उदयसिंह की भूमि तथा रास्ता तथा पश्चिम में मेगाराम सिरवी की कृषि भूमि स्थित है। उक्त वाद के साथ नजरी नक्शा संलग्न किया गया है, जो इस वाद का आवश्यक भाग है। पूर्व में उक्त खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के प्रेडिसिसर इन टाईटल दादा व पड़दादा के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के संवत् 2012 से पूर्व लगातार आज दिन तक कब्जा काश्त की चली आ रही है, जिसकी बिगोडी वादीगण के प्रेडिसिसर इन टाईटल व उनके देहान्त के बाद बतौर मालिक वादीगण अदा करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि के पुराने खेत खसरा नंबर 220/4 रकबा 10 बीघा है, जिसका पट्टा नियमितीकरण आवंटन सीविया वल्द खुमा कौम कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है। जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2032 में उल्लेखित है। खसरा नंबर 220/4 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण के प्रेडिसिसर इन टाईटल के नाम रेगुलाईजेशन नामा0 सं0 172 के अनुसार खातेदारी दर्ज होकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हुई। तत्पश्चात् राजस्व रेकर्ड में द्वितीय सेटलमेंट के वक्त पुराने खसरा संख्या 220/4 रकबा 10 बीघा का इन्द्राज होने से रह गया था। द्वितीय सेटलमेंट के राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भूलवश पुराने खसरा मिलान करते समय वक्त खसरा नंबर 220/4 रकबा 10 बीघा टंकणीय त्रुटि से छूट गया। नियमितीकरण के बाद राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम नियमानुसार दर्ज हो गया था। लेकिन तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने द्वितीय सेटलमेंट के वक्त खसरा मिलान करते समय उक्त पुराने खसरा नंबर 220/4 रकबा 10 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से छूट गया था, यह मानवीय एवं लिपिकीय त्रुटि है। पुराने खसरा नं0 220/4 की जगह नये खसरा नंबर अंकित किया जाना न्यायसंगत है। वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के प्रेडिसिसर इन टाईटल, दादा पडदादा सीवीया वक्द खुमाजी कौम कुम्हार सा. देह खातेदार का कब्जा काश्त में थे, उनके देहान्त के बाद वादीगण उक्त भूमि पर काश्त करते है। वादीगण

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

डिसिसर इन टाईटल को उपरोक्त भूमि तत्कालीन समय से कब्जा काश्त बेरोक टोक निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व कब्जे में था। उक्त सेटलमेन्ट के वक्त वादीगण के पूर्वजों के नाम से पट्टा दिया गया, जिसमें खुद काश्तदर्ज है। वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक राज. सरकार की जानकारी में लगातार चला आ रहा है कि मौके पर कब्जा काश्त बतौर खातेदार निर्विवाद रूप से वादीगण व उनके पूर्वजों का रहा है तथा नियमितीकरण के बाद राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज जरिये नामान्तरकरण संख्या 172 दर्ज हो गया। इस प्रकार से वादीगण उपरोक्त वर्णित कृषि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के स्वतः ही अधिकारी हो गये थे तथा द्वितीय सेटलमेन्ट में पुराने खसरा नम्बर 220/4 रकबा 10 बीघा भूमि का नया खसरा नम्बर अंकित हेने से छूट गया था, जिसको दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है। बिनाय दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी बमुकाम नेमाराम सोजत जिला पाली में दिनांक 05.01.2023 को पैदा हुआ, जब वादीगण द्वारा हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व नकल जमाबंदी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 220/4 रकबा 10 बीघा का राजस्व रेकर्ड में इन्दाज होने से छूट जाने की जानकारी होने पर, वाद कारण पैदा हुआ। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर वाद-पत्र संख्या 01 में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा सरदारसमंद, पटवार हल्का सरदारसमंद, आर.आई. क्षेत्र शिवपुरा, तहसील सोजत. जिला पाली में पुराने खेत खसरा नम्बर 220/4 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की एवं वाद के पद संख्या-01 में खातेदारी कृषि भूमि का उक्त नेमाराम खाते में राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भूल द्वितीय सेटलमेन्ट के वक्त खसरा मिलान करते समय उक्त पुराने खसरा नम्बर 220/4 किस्म बारानी अव्वल की जगह नये खसरा नम्बर अंकित कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने तथा स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0 दा0 तलब किये गये। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत प्रतिवादी ने जबाब दावा पेश कर अंकित किया है कि पैरा संख्या 1 में वर्णित सम्पति सरहद मौजा सरदारसमंद में स्थित है। पैरा 2 से 5 में वर्णित तथ्य वादी स्वयं साक्ष्य सबूत पेश करना अंकित किया है। पेरा 6 से 13 को कानूनी होना बताया है। प्रकरण में वर्तमान मौका, रेकर्ड एवं सेटलमेंट से पूर्व मौका एवं रेकर्ड की रिपोर्ट पेश करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया, तहसीलदार सोजत ने बिन्दुवार रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार निवेदन किया कि "खातेदार नेमाराम, देवाराम पुत्रान स्व शिवराम उर्फ शिविया जाति प्रजापत निवासी सरदारसमंद की कब्जा काश्त कृषि भूमि पूर्व खेत खसरा संख्या 220/4 रकबा 10 बीघा ग्राम सरदारसमंद का मौका अवलोकन करने पर नेमाराम एवं देवाराम का कब्जा काश्त पाया गया तथा ग्रामीणों से पूछताछ पर लोगों ने बताया उक्त भूमि पर सेटलमेंट से पूर्व से ही नेमाराम वगैरा के पिता का कब्जा काश्त था, उनके निधन के पश्चात् नेमाराम वगैरा द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य निर्विवाद रूप से शान्तिपूर्वक उपयोग किया जा रहा है। नेमाराम वगैरा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी खेवट जमाबंदी विक्रम संवत् 2029-32 में शिविया वल्द खुमा जाति कुम्हार के नाम खेत खसरा 220/4 रकबा 10 बीघा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद थी तथा उक्त भूमि शिविया वल्द खुमा के नाम रेगुलाईजेशन नामा0 सं0 172 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दारामद की गई थी जमाबंदी की प्रति संलग्न है। द्वितीय सेटलमेंट के वक्त राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा टंकणीय त्रुटिवश एवं भूलवश मिलान करते समय उक्त खेत के पुराना खसरा संख्या 220/4 रकबा 10 बीघा टंकणीय त्रुटि से नया खसरा नंबर लिखने से छूट गया जिसका दुरूस्तीकरण किया जाने की अनुशंषा की जाती है। उक्त भूमि रकबा 10 बीघा पड़ौस की भूमि नेमाराम एवं देवाराम के स्वयं की कब्जा काश्त कृषि भूमि खसरा संख्या 751, 752, 753 आई स्थित है। उक्त भूमि पर भी नेमाराम एवं देवाराम द्वारा ही कब्जा काश्त

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

जा रहा है। विक्रम सवंत् 2012 से पूर्व एवं आज दिनांक तक उक्त भूमि पर नेमाराम एवं ...राम द्वारा निर्विवाद रूप से कब्जा किया जा रहा है। इसलिये उक्त छुटे गये खसरे की भूमि रकबा 10 बीघा के नये खसरा अंकित किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है, इसलिये शुद्धि की जाती है तो इससे किसी के हित विपरित रूप से प्रभावित नहीं होते है।''

बहस अधिक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम सरदारसमंद, पटवारी हल्का सरदारसमंद, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत के पुराने खेत खसरा नंबर 220/4 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल की स्थित है। पूर्व में उक्त खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के प्रेडिसिसर इन टाईटल दादा व पडदादा के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के संवत् 2012 से पूर्व लगातार आज दिन तक कब्जा काश्त की चली आ रही है, जिसकी बिगोड़ी वादीगण के प्रेडिसिसर इन टाईटल व उनके देहान्त के बाद बतौर मालिक वादीगण अदा करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि के पुराने खेत खसरा नंबर 220/4 रकबा 10 बीघा है, जिसका पट्टा नियमितीकरण आवंटन सीविया वल्द खुमा कौम कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है। जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2032 में उल्लेखित है। खसरा नंबर 220/4 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण के प्रेडिसिसर इन टाईटल के नाम रेगुलाईजेशन नामा0 सं0 172 के अनुसार खातेदारी दर्ज होकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हुई। तत्पश्चात् राजस्व रेकर्ड में द्वितीय सेटलमेंट के वक्त पुराने खसरा संख्या 220/4 रकबा 10 बीघा का इन्द्राज होने से रह गया था। द्वितीय सेटलमेंट के राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भूलवश पुराने खसरा मिलान करते समय वक्त खसरा नंबर 220/4 रकबा 10 बीघा टंकणीय त्रुटि से छूट गया था, जिसे दुरूस्त किया जाकर सेटलमेंट की पूर्व स्थिति अनुसार वादी को वादग्रस्थ भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत में अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट को दोहराते हुए माफिक ईश्तदुआ अनुसार किसी पक्षकार एवं राज्य सरकार के हित प्रभावित नहीं होने से रेकर्ड दुरूस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद जबाव दावा तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सरहद मौजा ग्राम सरदारसमंद, पटवारी हल्का सरदारसमंद, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत के पुराने खेत खसरा नंबर 220/4 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल की स्थित है। जिसमें जमाबंदी सम्वत् 2029–32 में शिविया वल्द खुमा कौम कुम्हार सा.देह खातेदार रेगुलाईजेशन नाम0 सं0 172 में बतौर खातेदार खसरा नंबर 220/4 रकबा 10 बीघा दर्ज सुदा है। तत्पश्चात् आगामी जमाबंदी व द्वितीय सेटलमेंट में उक्त इन्द्राज को दोहराया नहीं जाकर खसरा नंबर 220/4 रकबा 10 बीघा भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में से हटा दिये जाने की पुष्टि होती है। तहसीलदार सोजत द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि खसरा नं0 220/4 रकबा 10 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है तथा सेटलमेंट से पूर्व नेमाराम के पिता का कब्जा रहा था। तहसीलदार सोजत द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा टंकणीय त्रुटिवश खसरा नंबर 220/4 उक्त खसरा नंबर इन्द्राज से छूट गया था एवं राजस्व रेकर्ड में पुनः दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की अनुशंषा की है। उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट अनुसार यह स्पष्ट होता है कि सेटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 220/4 रकबा 10 बीघा भूमि को जरिये नामान्तरकरण संख्या 172 वादीगण के पिता को खातेदारी अधिकार दिये गये थे। सेटलमेंट के पश्चात् बिना किसी सक्षम आदेश राजस्व रेकर्ड में से वादीगण के पिता का नाम हटा दिया गया। जबकि मौके पर आज भी वादीगण कब्जा काश्त कर रहे है। जिससे पुनः राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त इन्द्राज कराया जाना न्यायोचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सरदारसमंद, पटवारी हल्का सरदारसमंद, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत के पुराने खसरा नंबर 220/4 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल में सेटलमेंट से पूर्वानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नवीन खसरा नम्बर कायम कर दुरूस्त इन्द्राज किया जाकर खसरा नं0 220/4 की भूमि से बने वर्तमान खसरों की 10 बीघा भूमि में शिविया वल्द खुमा के विधिक वारिसानों के नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 04/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. नेमाराम पुत्र स्व. शिवराम उर्फ शिविया 2. देवाराम पुत्र स्व. शिवराम उर्फ शिविया जाति प्रजापत निवासी सरदारसमंद तह0 सोजत जिला–पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 188 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 96 / 2023

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री कैलाश दवे, श्री पी.आर. प्रजापत तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत स्वयं पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम सरदारसमंद, पटवारी हल्का सरदारसमंद, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत के पुराने खसरा नंबर 220 / 4 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल में सेटलमेंट से पूर्वानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नवीन खसरा नंबर कायम कर दुरूस्त इन्द्राज किया जाकर खसरा नं0 220 / 4 की भूमि से बने वर्तमान खसरों की 10 बीघा भूमि में शिविया वल्द खुमा के विधिक वारिसानों के नाम बतौर खातेदार घोषित कर तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान– मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04/03/24 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)